राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1290/2025

राजेश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रोग्रामर के पद पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति सिन्धरी, बालोतरा में रिक्त पद पर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 27.04.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रोग्रामर के पद से प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके

अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 28.04.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा संयुक्त निदेशक महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर में कार्यग्रहण कर लिया गया था। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का 18 माह के अन्तराल फिर से स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण भी नहीं किया गया है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सीकर द्वारा दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–5) को तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जयपुर को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अतिरिक्त निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। अपीलार्थी के माता–पिता का देहान्त हो चुका है। अपीलार्थी के बच्चे सीकर जिले में अध्ययनरत है। परिवार की देख–रेख करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। सीकर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 04 पद रिक्त है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 600 कि.मी. दूर कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को प्रोग्रामर के पद पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में ही कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिलवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य